

राजस्थान-सरकार राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

कमाक:प.9(74)राज. / ग्रूप-1 / 2012

जयपुर,दिनांक : 7-8-12

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतंद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील डीडवाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजरेव गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र0सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि0मी0में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल	ordje iskleti	जन संख्या	क्षेत्रफल		**
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10
1.	नागौर / डीडवाना	बालिया /	4167	1720.8015	जानकीपुरा	469	411. 0790	2.0	1309.7225

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न कमांक प. 9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतू निर्देशित किया जाता है।